



143

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र. क्र.

/2016/निगरानी

R 4069-F-16

दिनांक श्री को. श्री. शर्मा
काम 2 को दिनांक
29-11-16 को सुनने/

O.P. Sharma
Adv.
29-11-16

623
29-11-16

- 1- श्रीमती हल्की बाई विद्या पत्नी जगन्नाथ
- 2- देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. जगन्नाथ सिंह
- 3- लोकेन्द्र सिंह पत्नी स्व. जगन्नाथ सिंह

वारिसान -

- 1। कुंडी पत्नी स्व. लोकेन्द्र
- 2। योगेश पुत्र स्व. लोकेन्द्र
- 3। सिमरन पुत्री स्व. लोकेन्द्र
- 4। अंकित पुत्र स्व. लोकेन्द्र

निवासीगण - ग्राम चिरबाई तहसील व छिटा
जिला - ग्वालियर कृष्ण ग्राम पहाडी
तहसील व जिला मुरैना म0प्र0

..... प्रार्थीगण

बनाम

1- महिला कुवर देवी पत्नी तथा कथित
स्व. जगन्नाथ पत्नी - वारिसान

1। महावीरा

2। सुरेश

3। भूरा पुत्रगण तथा कथित स्व.

जगन्नाथ समस्त निवासीगण -

ग्राम पहाडी तहसील व जिला मुरैना म0प्र0

4। श्रीमती विमला पुत्री तथा कथित

जगन्नाथ पत्नी श्री रामवीर ताल

नि. ग्राम मेधाना तहसील व जिला मुरैना

5। श्रीमती मुनेश पुत्री तथा कथित जगन्नाथ

पत्नी श्री रामवीर निवासी - पूनपुर

Handwritten signature in blue ink

परगना व जिला मुरैना म०प्र०

..... असतप्रतिप्रार्थीगण

6- रमेश

7- गोपाल

8- पप्पू पुत्रगण स्व. बदन सिंह

9- बेजो

10- शीला

11- बेमई

12- मन्तो उर्फ मुडडी पुत्रीगण स्व. बदनसिंह

सिंह समस्त निवासीगण ग्राम पहाडी

तहसील व जिला मुरैना म०प्र०

... तरबीबी प्रतिप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र निगरानीअन्तर्गत धारा 50 म०प्र० रा. संहिता

विरुद्ध न्यायालय सहायी मुरैना के आदेश दिनांक 29.9.16

पारित प्रकरणक्रमांक 28/2011-12/अपील

महोदय,

श्रीमान प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निगरानी निम्न
आधारों पर प्रस्तुत है :-

- 1- यह कि श्रीमान अधिरक्षक प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण
न्यायालय अपर तहसीलदार बानमोर जिला मुरैना का नामांतरण
आदेश यथावत न कर छात्रावर्तित किये जाने में विधि एवं प्राव-
धानों का उल्लंघन किया है इस कारण अपील में पारित आदेश
निरस्त किये जाने योग्य है।
- 2- यह कि प्रार्थीगण मृतक जगन्नाथ सिंह पुत्र श्रीहरविलास के


..... 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4067-एक/16

जिला - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ओ.पी. शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	